न्यायालय जनपद न्यायाधीश, बहराइच।

व्यवहार प्रकीर्ण वाद संख्या–71/2025

मो० राशिद खाँ उर्फ रशीद खाँ–बनाम–उ०प्र० राज्य आदि,

C.N.R. No.–UPBH010037972025

10.07.2026

निस्तारण 6–ग प्रार्थना–पत्र, अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियमः–

पत्रावली आज निस्तारण हेतु पेश हुई।

उपरोक्त वर्णित प्रार्थना–पत्र, आवेदक मो० राशिद खाँ उर्फ रशीद खाँ की ओर से अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम वास्ते क्षमा किये जाने विलम्ब संस्थित करने अपील निम्न अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया हैः–

मुकदमा में प्रार्थना–पत्र ग–6, दिनांक–15.02.2025 को वास्ते आदेश नियत किया गया था। वादी आदेश की जानकारी करने बराबर न्यायालय के पेशकार के संपर्क में रहा, जब–जब पूंछा यही बताया गया कि आदेश अभी नहीं हुआ। ऐसा कहते दो माह बीत गये, इसके बाद पेशकार साहब ने कहा कि पेशी दिनांक–23.05.2025 लगाकर पत्रावली आफिस चली गई है। वादी उर्दू व अरबी पढ़ा है, हिन्दी नहीं जानता है। दिनांक–23.05.2025 को अपने अधिवक्ता को लेकर अदालत पर आया। पत्रावली देखा तो पता चला कि दिनांक–22.04.2025 को न्यायालय द्वारा वादी का प्रार्थना–पत्र ग–6 निरस्त कर दिया गया। वादी को उक्त आदेश की जानकारी लगभग दो माह एक दिन पर हो पायी, जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने हेतु नकल प्रार्थना–पत्र दिनांक–26.05.2025 को दिया, जिसके आधार पर दिनांक–07.07.2025 को प्रामाणित प्रति प्राप्त करके अपील दायर किया। अपील आदेश की जानकारी से अन्दर मियाद है। अज्ञानतावश आदेश की तिथि की जानकारी देर से होने के कारण एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश का समय निकालकरक अपील 39 दिन सीमा अवधि से बाहर है। गलती अज्ञानतावश हुई है, जो क्षमा योग्य है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि प्रार्थना–पत्र मियाद स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद मानी जाये। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र 7–ब प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी संख्या–1 उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (व्यवहार), बहराइच द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया।

विपक्षी संख्या–2 ता 4 पर तामीला पर्याप्त माना गया गया, फिर भी उनकी ओर से आपत्ति करने हेतु कोई उपस्थित नहीं आया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी संख्या–1 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(व्यवहार), बहराइच के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक की ओर से आक्षेपित आदेश दिनांकित–22.04.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संस्थित किये जाने हेतु अपील प्रार्थना–पत्र मय प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम दिनांक–08.07.2025 को प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि आवेदक की ओर से आक्षेपित आदेश दिनांकित–22.04.2025 की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक–26.05.2025 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक–07.07.2025 को प्राप्त हुई और नकल प्राप्त होने के उपरान्त

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 15:30:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपील प्रार्थना–पत्र मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम दिनांक–08.07.2025 को प्रस्तुत किया। यद्यपि आवेदक द्वारा मामले की कार्यवाही के प्रति उपेक्षा बरते जाने का तथ्य परिलक्षित होता, तथापि नैसर्गिक न्याय की यह वांछा है कि किसी प्रकरण का निस्तारण उभय पक्ष को उपलब्ध सांविधिक उपचारों के अधीन स्वंय का पक्ष रखे जाने की उपलब्धता प्रदान कर गुणदोष के आधार पर प्रकरण का प्रभावी निस्तारण किया जाये। ऐसी स्थिति में धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किया जाना आवेदक को सांविधिक उपचारों से वंचित किया जाना होगा। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत विलंब मर्षण हेतु प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले के गुण–दोष के आधार पर निस्तारण के लिये आवेदक का 6–ग प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

6–ग प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम तद्नुसार स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तावित अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अपील प्रार्थना–पत्र अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक–11.08.2026 को पेश हो।

(राजेश कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश, बहराइच।

दिनांक–10.07.2026
JO Code No.UP 2017